

पत्रांक-श्रम क०स०-28/2025-559
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक को स्वामाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 01 श्रमिक को स्वामाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) अर्थात कुल राशि रू० 80,000/- (अस्सी हजार रूपए) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

अतः 02 मृतकों/दावेदारों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध/दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/ मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	स्व० मनोज राम, 34, स्व० रामासरेय राम, अनुसूचित जाति	शोशिला देवी (पत्नी)	1107. 25.11. 2025 488. 04.05. 2026	ग्रा०-जलालपुर कला. पो०-विशुनपुरा, धाना+प्र०-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज मो०-7778845481	375 975 368 76	SBI, SBIN 0005 424	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपये मात्र)	स्वामाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्वर
2	स्व० लाल मोहन राम, 50, स्व० बिनेश्वर राम, अनुसूचित जाति	ललिता देवी (पत्नी)	703. 15.07. 2025 488. 04.05. 2026	ग्रा०-शाहपुर बलुआ टोला, पो०+थाना+प्रखण्ड-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज मो०-9572049519	222 590 145 0	CBI, CBI N028 2764	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्वर

कुल रू० 80,000 /-
(अस्सी हजार रूपए)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
- पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक-65, दिनांक- 15.01.2026 के क्रमांक-06 तथा विमुक्ति आदेश ज्ञापांक- 1280, दिनांक- 19.09.2025 के क्रमांक-37 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ज्ञापांक-559

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक।

पटना दिनांक-18-05-2024

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो

पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल:- **रु० 80,000 /-** (अस्सी हजार रूपए) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, सारण/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

15/05/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 15-05-2026 16:49:13
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhatti
Signed by Rajesh Bhatti
Date: 18-05-2026 11:45:33
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।